[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

Government of India
Ministry of Labour & Employment

NOTIFICATION

New Delhi, Dated: 9 July, 2019.

S.O: Whereas the Central Government is satisfied that the public interest requires that the services of the industry engaged in Food Stuffs, which is covered under item 6 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), to be a Public Utility Service for the purposes of the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-clause (vi) of clause (n) section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947(14 of 1947), the Central Government hereby declares the services of the said industry engaged in Food Stuffs to be a Public Utility Service for the purposes of the said Act for a period of six months with effect from the date of publication of the notification.

[File No. S.11017/ 5 /91 – IR (PL)]

(KALPANA RAJSINGHOT)
Joint Secretary to the Government of India

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 9 जुलाई, 2019

का.आ._____(अ).-- केन्द्रीय सरकार का यह समाधान है कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित है कि खाद्ध सामग्री में लगे उद्धोग की सेवाएं जो औधोगिक विवाद अधिनियम (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की मद 6 के अधीन समाविष्ट किया गया हैं, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवा होंगी,

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (vi) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त छह मास की अवधि के लिए उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक खाद्ध सामग्री में लगे उक्त उद्धोग लोक उपयोगिता सेवाओं को सेवा घोषित करती है।

[फा.सं. एस. 11017/5/91-आईआर (पीएल)]

(कल्पना राजसिंहोत)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार